



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125189

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 17070/2026

इस्माइल उर्फ समीर उर्फ सुमैतआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : सूरज उपाध्याय, विवेक सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : आकाश तोमर, शासकीय अधिवक्ता, मुकेश कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश तोमर और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार दुबे को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना नौचंदी, जिला मेरठ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 42/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1), 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 11 नामजद अभियुक्तों द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता पक्ष पर अपने आग्नेयास्त्र से हमला करना कहा गया है, जिसके परिणामस्वरूप, असलम नामक एक व्यक्ति को गोली की चोट लगना कहा गया है और उसकी मृत्यु हो गई तथा दूसरे व्यक्ति के कंधे पर गोली की चोट आई है। यह आगे तर्क दिया गया है कि घायल शोएब ने आवेदक को हमले की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है और उसने सह-अभियुक्तों अहद, अशद, आमिर और तारिक को हमले की विशिष्ट भूमिका सौंपी है। यह आगे तर्क दिया गया है कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर प्रवेश के पांच घाव और उसके सिर पर तीन चोटें हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दाखिल अनुपूरक शपथ पत्र में उचित रूप से स्पष्ट किया गया है और आवेदक 27.02.2026 से जेल में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बंद है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और उनकी ओर से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की भूमिका सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आती है क्योंकि वह घटना स्थल पर उपस्थित था और उसने घायल शोएब को जान से मारने के लिए भी उकसाया था।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, 11 नामजद अभियुक्तों द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता पक्ष पर अपने आग्नेयास्त्र से हमला करना कहा गया है, जिसके परिणामस्वरूप, असलम नामक एक व्यक्ति को गोली की चोट लगना कहा गया है और उसकी मृत्यु हो गई तथा दूसरे व्यक्ति के कंधे पर गोली की चोट आई है। यह आगे तर्क दिया गया है कि घायल शोएब ने आवेदक को हमले की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है और उसने सह-अभियुक्तों अहद, अशद, आमिर और तारिक को हमले की विशिष्ट भूमिका सौंपी है। मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर प्रवेश के पांच घाव और उसके सिर पर तीन चोटें हैं। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दाखिल अनुपूरक शपथ पत्र में उचित रूप से स्पष्ट किया गया है और आवेदक 27.02.2026 से जेल में बंद है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखने के साथ-साथ एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय के अधिदेश और साथ ही जमानत देने के संबंध में 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- इस्माइल उर्फ समीर उर्फ सुमैत को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।
 - (ii) आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे निष्ठापूर्वक विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।
 - (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - (iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।
11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।
12. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह 31.01.2023 को निर्णीत तथा (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट की गई 'जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति संदर्भ' में : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021' के मामले में शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ के द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026

आर.के.एम.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"